भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1771
सोमवार, 10 मार्च, 2025 / 19 फाल्गुन, 1946 (शक)

बिहार में ईएसआईसी अस्पताल

1771. श्री गोपाल जी ठाकुर:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार राज्य के जिलों में निर्मित और निर्माण के लिए प्रस्तावित कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) अस्पतालों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का उत्तर बिहार के दरभंगा जिले और मिथिला क्षेत्र में बड़ी संख्या में रहने वाले निम्न आय वर्ग के कामगारों और कर्मचारियों हेतु ईएसआईसी अस्पताल का निर्माण करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो ईएसआईसी अस्पताल का निर्माण कब तक होने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग)**:** ईएसआई अस्पतालों / औषधालयों की स्थापना एक सतत प्रक्रिया है। ईएसआई निगम निश्चित मानकों / बीमित व्यक्ति (आईपी) जनसंख्या मानदंडों के आधार पर किसी क्षेत्र विशिष्ट के भीतर नए अस्पतालों / औषधालयों की स्थापना हेतु अनुमोदन प्रदान करता है। मानकों के अनुसार, प्रस्तावित स्थान के 25 कि.मी. के दायरे में 30 बिस्तरों और 100 बिस्तरों वाले ईएसआई अस्पताल की स्थापना के लिए क्रमशः न्यूनतम 20,000 तथा 50,000 वर्तमान बीमित व्यक्तियों (आईपी) / आने वाले 05 वर्षों में संभावित बीमित व्यक्ति (आईपी) संख्या की आवश्यकता होती है।

ईएसआईसी ने बिहार में दो अस्पतालों अर्थात एक बिहटा और एक फुलवारीशरीफ़ (पटना) में निर्माण किया है। इसके अतिरिक्त ईएसआई ने बिहार में 3 नए ईएसआई अस्पतालों अर्थात मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बेगूसराय में एक-एक अस्पताल की स्थापना हेतु "सैद्धांतिक" अनुमोदन भी प्रदान किया है। दरभंगा में वर्तमान आईपी जनसंख्या जिले में ईएसआई अस्पताल की स्थापना के लिए पात्र नहीं हैं।

******